

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
प्रकरण संख्या :- 130/2024

रामजीलाल बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र अ. धा. 136 राज. भू राजस्व अधिनियम

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी हुए


28.02.2025

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वाके ग्राम वारिसपुरा तहसील व जिला झुंझुनूं में भूमि हाल खसरा नम्बर 163 कुल रकबा 1.91 हैक्टर भूमि अवस्थित है। आवेदक उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम अमल दरामद है, परन्तु राजस्व अधिकारियों की भूल से राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रामजीलाल पुत्र भोमाराम गलत दर्ज हो गया जबकि उसका वास्तविक नाम समस्त दस्तावेजों में रामजीलाल पुत्र गंगाराम है जिसे राजस्व रिकॉर्ड में भी दुरुस्त किया जाये।

बहस वकील प्रार्थी सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रार्थी के शपथ पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम रामजीलाल पुत्र गंगाराम दुरुस्त करने की अभिषंशा की है। संलग्न समस्त दस्तावेजात से प्रार्थी का नाम रामजीलाल पुत्र गंगाराम साबित होता है। बाद अवलोकन पत्रावली प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

-: आदेश :-

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम वारिसपुरा तहसील व जिला झुंझुनूं में भूमि हाल खसरा नम्बर 163 कुल रकबा 1.91 हैक्टर कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम रामजीलाल पुत्र भोमाराम के स्थान पर रामजीलाल पुत्र गंगाराम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दपतर हो। निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को खुले इजलास सुनाया गया।


(हवाई सिंह खादेव)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं